संख्या-1322/2026/568/22-2-2026-17(1255)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 30 सितम्बर,2026

विषय :- जिला कारागार मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोइनुद्दीन पुत्र श्री जमीलुद्दीन, निवासी जनपद-मेरठ की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-10410/प्रो0अनु0(2)-314/2026/(बैठक दिनांक-09.03.2026) दिनांक-20-03-2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोइनुद्दीन पुत्र श्री जमीलुद्दीन, जो बनी सराय, थाना-कोतवाली, जनपद-मेरठ का निवासी है। दिनांक 07.06.2003 को अभियुक्त द्वारा 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जमीनी विवाद की आपसी रंजिश के चलते 03 व्यक्तियों की हत्या करने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस० टी० नं0-668, 669/2003, भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 307/149 व 25 आयुध अधिनियम में मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-01, मेरठ के आदेश दिनांक 04.08.2007 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 05.09.2008 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 21.12.2025 तक अपरिहार 21 वर्ष 00 माह, 03 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 00 माह, 27 दिन की सजा भोगी गयी है। दिनांक 21.12.2025 तक बंदी की आयु लगभग 44 वर्ष है।

3- पुलिस अधीक्षक अपराध एवं जिला मजिस्ट्रेट मेरठ द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25 (94)/97, दिनांक 06.08.2004 के प्रस्तर-9(2) के प्राविधान के अनुरूप लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित करते हुये उल्लेख किया गया है कि बंदी द्वारा कारित अपराध जघन्य प्रवृत्ति का है जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करते हुए व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना से इंकार नहीं करने, बंदी द्वारा पुनः अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने, बन्दी को जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने तथा बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपर्युक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनांक 07.06.2003 को अभियुक्त द्वारा 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जमीनी विवाद की आपसी रंजिश के चलते 03 व्यक्तियों की हत्या करने का अपराध कारित किया गया। मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, की आख्या / संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-473 (दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973 की धारा 432) सपठित जेल मैनुअल 2022 के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मोईनुद्दीन पुत्र श्री जमीलुद्दीन की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोइनुद्दीन (बन्दी संख्या-390/2025) पुत्र श्री जमीलुद्दीन, निवासी जनपद-मेरठ, की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1322/2026/568(1)/22-2-2026 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।